भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 335
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2024
सोमवार, 16 माघ, 1945 (शक)

ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम

335. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़: श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल अथवा कार्यक्रम आरम्भ किए हैं;

(ख) सरकार द्वारा रोजगार बाजार की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों को समनुरूप बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ सहयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कौशल विकास कार्यक्रमों की भौगोलिक पहुंच का ब्योरा क्या है और क्या ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सफलता की ऐसी कोई कहानियां अथवा केस स्टडी है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के कुशल कार्यबल के प्रभाव को दर्शाती हैं; और

(ङ) क्या सरकार के पास प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति जो मौजूदा कौशल सेट की प्रासंगिकता को प्रभावित कर सकती हैं, जैसी संभावित चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोई तंत्र/योजनाएं हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उदेश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार होने, उद्योग के लिए प्रासंगिक कौशल से लैस करने तथा विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

(ख) एमएसडीई ने शिक्षा मंत्रालय के समन्वय से पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई) प्रारम्भ किया। स्किल हब पहल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में यथा परिकल्पित शिक्षा इकोसिस्टम में कौशल

प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया। स्किल हब पहल ने लक्षित उम्मीदवारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग किया, जिससे उम्मीदवारों को अपने चुने हुए व्यवसायों को जारी रखने के लिए कई अच्छी तरह से परिभाषित मार्गों के साथ प्रारंभिक चरण में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने में सहायता मिली।

पीएमकेवीवाई 4.0 का उद्देश्य व्यावसायिक और शैक्षिक स्ट्रीम्स में तालमेल बिठाना और कौशल हबों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाकर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क को बढ़ाना भी है। पीएमकेवीवाई के तहत अल्पावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई), कॉलेजों और विश्वविद्यालयों (कौशल विश्वविद्यालयों सहित) में कौशल हब स्थापित किए जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एमएसडीई के कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन के प्रावधानों के अलावा, इन कार्यक्रमों को जॉब बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. एमएसडीई की स्कीमों के तहत ऑफर किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम बाजार मांगों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के सहयोग से विकसित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उद्योग के लीडर-नीत 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) की स्थापना की गई है, जिन्हें संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं का पता लगाने तथा कौशल अर्हता मानकों को निर्धारित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

ii. उद्योग 4.0 की आवश्यकता को पूरा करने वाली भविष्य के लिए तैयार जॉब रोल्स , ड्रोन, कृत्रिम मेधा (एआई), रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स इत्यादि जैसे उभरते क्षेत्रों को पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्राथमिकता दी गई है। सीटीएस के तहत भी, उभरती प्रौद्योगिकियों में भावी जॉब रोलों की मांग को पूरा करने के लिए आधुनिक युग के पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं।

iii. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियमों और मानकों की स्थापना करने वाले एक व्यापक नियामक के रूप में स्थापित किया गया है।

iv. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकायों से उद्योग की मांग के अनुसार अर्हताएं विकसित करने और उन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय के व्यवसाय के राष्ट्रीय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार अभिनिर्धारित किए गए व्यवसायों के साथ चिन्हित करने और उद्योग मान्यता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

v. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी एमओयू स्कीम और प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डीएसटी) कार्यान्वित कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य आईटीआई छात्रों को औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

vi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) अनुरूप पाठ्यक्रमों में कार्यगत प्रशिक्षण (ओजेटी) और नियोजनीयता कौशल के घटक भी हैं।

vii. डीजीटी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर संस्थानों के लिए उद्योग संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क (तत्कालीन क्रेस्ट एलायंस), अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस)

और माइक्रोसॉफ्ट जैसी आईटी टेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

viii. एनएसडीसी, बाजार-नीत कार्यक्रम के तहत, प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायता प्रदान करता है जो उद्योग मांग के साथ कौशल पाठ्यक्रमों को सहयोग और संरेखित करता है।

ix. एनएपीएस के तहत, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संबद्धता बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जाता है।

x. भारत सरकार ने दस देशों अर्थात ब्रिटेन; फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, ताइवान, ऑस्ट्रिया, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और फिनलैंड के साथ मांग वाले कौशलों को संरेखित करने के लिए प्रवासन और मोबिलिटी करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

xi. भारत सरकार ने विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है।

(ग) एमएसडीई के अंतर्गत सभी स्कीमें ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं। साथ ही, एमएसडीई डीजीटी के माध्यम से वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास के लिए एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, ताकि ऐसे जिलों में 48 आईटीआई की स्थापना का समर्थन किया जा सके। इसके अलावा, 22 मौजूदा आईटीआई का उन्नयन करके उत्तर-पूर्व राज्यों में कौशल विकास बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(घ) विगत कुछ वर्षों में, भारत ने विभिन्न देशों को बाज़ार-माँगों को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए कुशल प्रतिभाएं प्रदान की हैं। भारत के कुशल युवा अमेरिका, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे सबसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा, भारत के बड़े प्रतिभा पूल में प्रौद्योगिकी पेशेवर शामिल हैं जो भारत के विकास पथ को आगे बढ़ा रहे हैं और वैश्विक आईटी बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्ष 2022 में आयोजित एक अध्ययन में 16 उच्च प्राथमिकता वाले गंतव्य देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, मलेशिया, रोमानिया, सिंगापुर, स्वीडन, यूके, यूएसए (विकसित/उच्च आय वाले देश); तथा बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (जीसीसी) को शामिल किया गया। अभी तक 25,000 से अधिक उम्मीदवारों को सऊदी अरब, जापान, कतर, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे विभिन्न देशों में तैनात किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि वर्ष 2030 तक भारतीय स्वस्थ्य देखभाल पेशेवरों की मांग चार गुना बढ़ने की प्रत्याशा है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाज़ारों में भारत के कुशल कार्यबल की सफलता को भी मान्यता मिली है और भारत ने वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता वर्ष 2015 में 29वें स्थान की तुलना में वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता 2022 में 11वां स्थान हासिल किया है।

(ङ) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और उन्नति एक सतत प्रक्रिया है। उद्योगों की कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के संदर्भ में ऐसे परिवर्तनों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनका विवरण प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है।

*****